निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–30/2020
दायरा दिनांक :–13.07.2020
निर्णय दिनांक :– 23.12.2022

उनवान

1. विजयकुमार आयु 26 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल जाति धाकड निवासी बामला तहसील बारां।
2. हंसराज आयु 53 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल जाति धाकड निवासी बामला तहसील बारां।

–वादीगण

बनाम

1. अनारी पुत्री पुरूषोतम पत्नि बलराम जाति धाकड निवासी नागोनिया तहसील खानपुर जिला झालावाड
2. अयोध्याबाई पत्नि स्व0 मोहनलाल जाति धाकड निवासी बामला
3. इन्द्राबाई पुत्री रामकरण पत्नि अमृतलाल जाति धाकड निवासी बडौरा तहसील अटरू जिला बारां
4. कंचनबाई पत्नि पुरूषोतम जाति धाकड निवासी बामला
5. कन्याबाई पुत्री रामगोपाल जाति धाकड निवासी इकलेरा
6. कलावती पुत्री तेजपाल जाति धाकड निवासी दुर्जनपुरा
7. कांतिबाई पुत्री तेजपाल जाति धाकड निवासी दुर्जनपुरा
8. गिरीराज पुत्र रामकरण जाति धाकड निवासी इकलेरा
9. धनराज पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड निवासी बामला
10. बनवारीलाल पुत्र रामकरण जाति धाकड निवासी इकलेरा
11. नवलबाई पत्नि बनवारीलाल जाति धाकड निवासी इकलेरा
12. प्रेमबाई पुत्री पुरूषोतम पत्नि जगन्नाथ जाति धाकड निवासी बामला
13. प्रहलाद पुत्र रामप्रताप जाति धाकड निवासी बामला
14. बाबूलाल पुत्र पुरूषोतम जाति धाकड निवासी बामला
15. भगवतीबाई पुत्री मोहनलाल जाति धाकड निवासी बामला
16. भरतकुमार पुत्र मोहनलाल जाति धाकड निवासी बामला
17. भूलेश पुत्री तेजपाल जाति धाकड निवासी दुर्जनपुरा
18. भवानीशंकर पुत्र पुरूषोतम जाति धाकड निवासी इकलेरा
19. मुरारीलाल पुत्र रामप्रताप जाति धाकड निवासी बामला
20. योगेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति धाकड निवासी बामला
21. रामकल्याण पुत्र तेजपाल जाति धाकड निवासी दुर्जनपुरा
22. सत्यप्रकाश पुत्र तेजपाल जाति धाकड निवासी दुर्जनपुरा
23. सुरेश पुत्र तेजपाल जाति धाकड निवासी दुर्जनपुरा
24. सुशीलाबाइ पत्नि हेमराज जाति धाकड निवासी इकलेरा
25. हरिमोहन पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी बामला
26. वृहद परवन दांई नहर परियोजना जिला कलेक्ट्रेट बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

27. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां
28. उपपंजीयक अधिकारी बारां

—प्रतिवादीगण

प्रर्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :— 23.12.2022

अभिभाषक उपस्थित :— 1.श्री ओ.पी. मेहता एड0 —वादी
2.श्री सिन्नरनजीत सिंह एड0
3.श्री संजय नागर एड0 —प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम बामला पटवार हल्का बामला तहसील बारां की आराजी जमाबंदी सम्वत्2072—75 खाता संख्या नया 564 पुरानी 528 की आराजी खं0 नं0 1193 रकबा 0.06 हे0, खं0 नं0 1194 रकबा 0.22 हे0, खं0 नं0 1195 रकबा 0.34 हे0, खं0 नं0 1203 रकबा 1.56 हे0, खं0 नं0 1207 रकबा 1.10 हे0, खं0 नं0 1431 रकबा 0.14 हे0, खं0 नं0 1433 रकबा 1.10 हे0, खं0 नं0 1436 रकबा 4.12 हे0 कुल किता 9 कुल रकबा 9.46 हे0 स्थित है जो विवादित आराजियात है। उक्त आराजियात के अतिरिक्त अन्य आराजियात भी प्रार्थीगण के पूर्वजो के खातेदारी एवं राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी जिसके मुताबिक उक्त आराजियातो के संदर्भ मे बाहगी बंटवारे के अनुसार जो दिनांक 29.05.1996 को लिखा गया है उसके मुताबिक खं0 नं0 1203 रकबा 0.82 हे0, खं0 नं0 1432 रकबा 0.14 हे0, खं0 नं0 1433 रकबा 1.10 हे0, खं0 नं0 1436 रकबा 4.12 हे0 मे से 1.85 हे0 बाहमी बंटवारे के मुताबिक प्रार्थीगण को प्राप्त हुई है जिसके अनुसार ही बाप दादा के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है जो वर्तमान मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे है इसी अनुसार प्रार्थीगण अपने अधिकारो की घोषणा करवाकर अपना खाता पृथक करवाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त आराजिया तमे अप्रार्थी प्रहलाद अप्रार्थी क्रम 13 द्वारा अपना हिस्सा बेचान कर पैसा प्राप्त कर लिया है किन्तु राम प्रताप का नाम खाते मे गलत रूप से अंकित है जिसे प्रार्थीगण हटवाकर राजस्व रिकार्ड से निरस्त करा पा सकने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण के पिता मोहनलाल के जीवनकाल मे ही बाहमी बंटवारा हो गया था तथा उसी अनुसार बाहमी बंटवारे से प्राप्त अपने अपने हिस्से की आराजी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण काबिज काश्त हो गये जिसके मुताबिक प्रार्थीगण को बाहमी बंटवारे के प्राप्त हिस्से को प्रार्थीगण द्वारा भू—सुधार कर उपजाउ बनाया गया है। किन्तु अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन होने के कारण उक्त आराजियात वर्तमान मे किमती होने से बदनियति

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

जा गई है तथा प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने से आना कानी कर रहे है इस कारण प्रार्थीगण बाहमी बंटवारे एवं पूर्वजो के समय से हुये बंटवारे एवं कब्जे काश्त के अनुसार प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 मे वर्णित आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर खाते का विभाजन कर पृथक से अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन कराने एवं पृथक से लगान निर्धारित कराने तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाइ निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी है। वर्तमान मे परवन वृहद परियोजना दांई नहर का चल राह है जिसके मुताबिक उक्त आराजियात मे से कुछ आराजियात नहर मे अधिगृहण किया जाकर मुआवजा दिया जाना है किन्तु खाते मे अप्रार्थीगण का नाम होने के कारण मुआवजे का निर्धारित किया जाना संभव नही है इसलिये प्रार्थीगण मूल वाद का बहामी बंटवारे के अनुसार निर्धारण नही होने तक वृहद परवन परियोजना द्वारा किसी भी प्रकार का मुआवजा किसी भी खातेदार को नही दिये जाने हेतु भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण कम 1 ता 25 से बाहमी बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकन कराने हेतु तहसील बारां मे चलने का निवेदन किया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आना कानी करने व स्पष्ट रूप से दिनांक 20.05.2020 को इंकार करने पर अंतिम रूप से पैदा हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण को जर्ये समन तलब किया गया। अप्रार्थी 1,4,14,18 की ओर से जवाब प्रा0 पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत् 2072–75 खाता सं0 564 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बामला मे स्थित है। उक्त आराजी के अतिरिक्त अन्य आराजीयात भी प्रार्थीगण के पूर्वजो के खातेदारी मे थी। बाहमी बटवारे के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। बाहमी बटवारा दिनांक 29.05.96 को लिखा गया था। बाहमी बंटवारे के आधार पर पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी कम 13 द्वारा अपना हिस्सा बेचान कर दिया है। परन्तु रामप्रताप का नाम खाते मे गलत दर्ज हो गया है। जिसे प्रार्थीगण हटवाने के अधिकारी है। प्रार्थी के पिता मोहनलाल के जीवन काल मे ही बाहमी बंटवारा हो गया था। बाहमी बंटवारे के अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से एवं कब्जे की आराजी का पृथक–पृथक विभाजन कराना चाहते है। कुछ आराजी परवन वृहद परियोजना दांई नहर मे अधिग्रहण किया जा चुका है। अप्रार्थीगण का नाम खाते मे होने से मुआवजा का निर्धारित नही किया जा रहा है। मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी द्वारा गलत एवं मिथ्या व मनगढंत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी अपना हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

अधिक बता रहे है। प्रार्थी का 1.85 हे0 भूमि हिस्सा मे नही है। प्रार्थी 1.85 हे0 भूमि पर मौके पर कब्जा नही है। अधिक भूमि प्राप्त करने का प्रार्थी को कोइ अधिकार नही है। अप्रार्थी कम 1,4,14 व 18 को बाहमी बंटवारे मे 3.20 हे0 भूमि मिलि थी। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी बाहमी विभाजन के आधार पर खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है। प्रार्थी कानून की आड लेकर अप्रार्थीगण को उनके कब्जे की आराजी से बेदखल करवाने पर आमादा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बामला सम्वत 2072–75 खाता सं0 564 के अनुसार विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज रिकार्ड इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी मे है तथा हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा दोनो पक्षकारों द्वारा बाहमी बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त होना बताया है। प्रार्थी कब्जे के अनुसार विवादित आराजी का बाहमी बंटवारे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन करवाना चाहते है। जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार की लडाई झगडा नही हो सके। प्रार्थी द्वारा मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है। जिससे पक्षकारान के मध्य भूमि को लेकर झगडा न हो। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना–न्यायाचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम बामला के खं0 नं0 1193 रकबा 0.06 हे0, खं0 नं0 1194 रकबा 0.22 हे0, खं0 नं0 1195 रकबा 0.34 हे0, खं0 नं0 1203 रकबा 0.82 हे0,खं0 नं0 1206 रकबा 1.56 हे0,खं0 नं0 1207 रकबा 1.10 हे0, खं0 नं0 1431 रकबा 0.14 हे0, खं0 नं0 1433 रकबा 1.10 हे0, खं0 नं0 1436 रकबा 4.12 हे0 कुल किता 9 कुल रकबा 9.46 हे0 भूमि कि मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार कि दखल अन्दाजी नही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner